

ी (A) आरबीई सं.... 60

नई दिल्ली, दिनांक ा .0 \$2013

On (BIE

संख्या ई (पीएंडए)II-98/एचआरए-6

महाप्रबंधक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय : नई रेलों/नए मंडलों में तैनात रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करना.

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 9.3.2004, 9.8.2005, 9.8.2006, 12.12.2007, 24.10.2008 और 10.12;2009 के समसंख्यक पत्र में उल्लिखित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है.

- 2. दिनांक 2.6.2010,13.7.2011 और 24.5.2012 के पत्र सं. ई (जी)2008 क्यूआर 1-2के पत्रों को जारी किए जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की गई और यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित किए गए/स्पष्ट किए गए अनुसार ऊपर उल्लिखित 09.03.2004 में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार 31.03.2013 तक मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाए.
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(के. शंकर)

निदेशक स्थापना(पीएंडए)

रेलवे बोर्ड.

संख्या ई (पीएंडए)II-98/एचआरए-6

नई दिल्ली, दिनांक 01.07.2013

प्रतिलिपि प्रेषितः

- (i) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
- (i) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ.

के. शंकर)

निदेशक स्थापना(पीएंडए)

रेलवे बोर्ड.



2/117

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

RBE No.---60

No.E(P&A)II-98/HRA-6

New Delhi, dated 01.07.2013.

The General Managers/CAOs, All Indian Railways & Production units.

Sub: Grant of House Rent Allowance to Railway employees posted to new Zones/new Divisions - Regarding.

+++++

Attention is invited to the instructions contained in Board's letters of even number dated 9.3.2004, 9.8.2005, 9.8.2006, 12.12.2007, 24.10.2008 and 10.12.2009 on the above subject.

- 2. The matter has been considered by the Board subsequent to issue of letters No. E(G)2008 QR1-2 dated 2.6.2010, 13.7.2011 and 24.5.2012 and it has been decided that railway employees posted to ECR and NWR may be allowed house rent allowance upto 31.3.2013 on the same terms and conditions laid down in the letter dated 09.03.2004 ibid and as amended/clarified from time to time.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(K. Shankar)
Director, Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/HRA-6

New Delhi, dated Of 2013.

Copy forwarded to:

(i) The FA & CAOs, all Indian Railways & Production Units.

(ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

(K. Shankar)

Director, Estt.(P&A)

Railway Board.

No.E(P&A)H-98/HRA-6

New Delhi, dated 01.0 .2013.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi-110001.

for Financial Commissioner/Railways.

..2/-